आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधि	नियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत
	संo-87 / 2010-11
नहादेव सिंह मुण्डा	410-87/2010-11
	विक्रेत

19.07-22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनाहातु के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। आवेदक एवं उनके अधिवक्ता द्वारा अनुमित वाद में किसी भी तरह का कोई अभिरूची नहीं दिखाई जा रही है यानि विक्रेता को जमीन बिक्री करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

अतः उपरोक्त अनुमति वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट	रकबा
	स०		सं०	(4/4)
जिन्तु सोनाहातु / 64	01	874	1.41 ए० मध्ये 1.02 ए०	
				,

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

बुण्डू (राँची)।